न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398/2024

अनवान : –

1. नीमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजुराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 27/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 567/512 की कुल 10.3729 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है। वाद भूमि का काफी वर्षो पूर्व बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी काश्तकार अपनी भूमि को काश्त करते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071–74 खाता स0 567/512 की कुल 10.3729 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071—74 खाता स0 567／512 की कुल 10.3729 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1 नीमोदेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति मेघवाल निवासी नोहर खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर— ग्राम धानसिया ख0न0 365／6 की 2.530 हैक्ट कुल 2.530 हैक्ट

2 महेन्द्र पुत्र मालाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर— ग्राम धानसिया ख0न0 365／6 की 1.7140 हैक्ट, ख0न0 365／1 की 2.2074 हैक्ट कुल 3.9214 हैक्ट

3 राजुराम पुत्र मालराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर— ग्राम धानसिया ख0न0 365／6 की 1.7141 हैक्ट, ख0न0 365／1 की 2.2074 हैक्ट कुल 3.9215 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:47 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398/2024

अनवान : –

1. नीमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजुराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 398 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/08/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071–74 खाता स0 567/512 की कुल 10.3729 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 नीमोदेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति मेघवाल निवासी नोहर खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर– ग्राम धानसिया ख0न0 365/6 की 2.530 हैक्ट कुल 2.530 हैक्ट

2 महेन्द्र पुत्र मालाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर– ग्राम धानसिया ख0न0 365/6 की 1.7140 हैक्ट, ख0न0 365/1 की 2.2074 हैक्ट कुल 3.9214 हैक्ट

3 राजुराम पुत्र मालराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर– ग्राम धानसिया ख0न0 365/6 की 1.7141 हैक्ट, ख0न0 365/1 की 2.2074 हैक्ट कुल 3.9215 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग [illegible] अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/[illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर